उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 460 -का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012-17 काविनी एवं वे०प्र०/08 (टी०सी०) दिनांक 18 जून, 2012

कार्यालय ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग-2, के शासनादेश सं० वे०आ०-2-180/दस-59(एम)/2008 (टी०सी०) दिनांक 01 मई, 2012 को अंगीकृत करते हुए उसकी अनुरूपता में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों में कार्यरत् कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण विषयक आदेश सं० 175-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17 काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 19.02.2009 के प्रस्तर-8 में नवसृजित बिन्दु सं० 05 के रूप में एतद्द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था किये जाने आदेश किये जाते हैं :-

①- पावर कारपोरेशन में कार्यरत्, जिन कार्मिकों को अपुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि माह फरवरी, 2006 से माह जून, 2006 तक देय थी, का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण, दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए किया जायेगा तथा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को देय होगी। ऐसे कर्मचारी, जो उक्त से आच्छादित होंगे, के वेतन का पुनर्निधारण तद्नुसार किया जायेगा।

②- उपरोक्त के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में आहरित होने वाले वेतन पुनरीक्षण के अवशेष की धनराशि का आहरण जुलाई, 2012 से पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

2. पावर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 175-काविनी एवं वे०प्र०/09-17 काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 19.02.2009 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त आदेश की शेष व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं० 460 -(I) का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ / केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।

(क्रमशः.......2)

5- **समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।**

6- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।

9- मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

11- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

12- अनु सचिव (स०प्र०–लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

13- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

15- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

16- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी,उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

17- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।

18- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(आर०के० श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)